दस्तावेज़ सं. : निनिप/शहद/दिशा निर्देश/अगस्त, 2002/जारी

शहद के निरीक्षण और क्वालिटी योजना पर निर्यातकर्ता के लिए दिशा निर्देश

0. प्रस्तावना

अनेक आयातक देश अब खाद्य मदों के संबंध में आयात नियंत्रण के कार्यान्वयन पर बल देते हैं। इस कारण से, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने तारीख 11.5.2001 को भारत के राजपत्र में भाग–2, खंड–3, उपखंड (ii) तारीख 4 मार्च के आदेश/अधिसूचना संख्या 1097 में प्रकाशित किया है। जिसके अनुसार शहद को अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया क्योंकि बहुमंडलीय सुरक्षात्मक योजना पर अग्रसर हुआ। यह अधिसूचना परेषणावार निरीक्षण और सुरक्षात्मक प्रबंधन योजना प्रभावीकरण को आवृत्त करती है, जबकि संबंधित प्रसंस्करण संयंत्र अपने उत्तम स्वास्थ्यकर प्रक्रियओं और प्रक्रिया नियंत्रण उत्पाद सुरक्षित और संपूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित अनुसरण पर आधारित है। आदेश/अधिसूचना के अनुसार निनिअ को इस अधिसूचना की अपेक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकरण माना गया है।

1. कार्यक्षेत्र

योजना के अंतर्गत यह दिशानिर्देश निनिअ द्वारा परेषण, – निरीक्षण की प्रक्रिया के समय और उनके संयंत्र के अनुमोदन के लिए निर्यातकर्ता की सूचना के लिए है।

2. परेषणावार निरीक्षण के लिए प्रक्रिया

2.1 निरीक्षण के लिए आवेदन

2.1.1. अनुबंध–I. में दिए गए निर्धारित आरूप में संबंधित निनिअ को तृतीयक प्रति में परेषण के निरीक्षण हेतु आवेदन करेगा।

2.1.2 आवेदन की प्रति तकनीकी विनिर्देशन और निर्यात संविदा मूल्य के साथ संलग्न होनी चाहिए तथा अन्य विवरण रिक्त छोड़ दिए गए।

2.1.3. निरीक्षण फीस जो प्रार्थी द्वारा देय है, डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) द्वारा/चैक द्वारा संबंधित निनिअ को दी जानी चाहिए।

2.1.4. यदि परिसर निनिअ के कार्यालय से उसी स्टेशन पर है, तो दो दिन पूर्व और यदि परिसर उस स्थान पर नहीं है, जहां निनिअ स्थित है, तो कम से कम 5 दिन पूर्व निरीक्षण के लिए आवेदन करेगा।

2.2 निरीक्षण

2.2.1 संबंधित निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निरीक्षण या तो पोत–लदान के बंदरगाह पर या पैकर के परिसर में या किसी दूसरे परिसर में किया जाएगा, जहाँ निर्यातकर्ता द्वारा परेषण दिया जाएगा बशर्ते निरीक्षण के लिए प्राप्त सुविधाएँ नमूनों के सीलबंद करने के लिए निर्यातकर्ता द्वारा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए।

2.2.2. इसके अतिरिक्त, निनिअ के किसी भी भंडारण स्थल, मार्गस्थ में, बंदरगाह वास्तविक पोत–लदान से पूर्व परेषण का पुनः मूल्यांकन करने का अधिकार होगा।

2.3. नमूनाकरण

2.3.1.अधिसूचना में उल्लिखित मानक विनिर्देशों के संदर्भ में परेषण की जाँच के उद्देश्य से निनिअ अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए नमूने जोड़े में लिए जाएँगे।

2.3.2 लिए गए नमूने निर्यातकर्ता की उपस्थिति में अधिसूचना में निर्धारित विनिर्देशन के अनुसार एक निनिअ की प्रयोगशाला में जाँच के लिए भेज दिया जाएगा और दूसरा नमूना निर्यातक को दे दिया जाएगा ताकि उसका उपयोग वह विवाद की स्थिति में कर सके।

2.4. निरीक्षण प्रमाणपत्र

2.4.1. विनिर्देशों के अनुसार निनिअ वाले नमूने का संतोषजनक जाँच परिणाम के आधार पर अनुबंध–II में निर्दिष्ट कार्य में निरीक्षण प्रमाणपत्र निनिअ द्वारा 45 दिनों की वैधता के लिए जारी कर दिया जाएगा।

2.4.2 यदि लिया गया नमूना निर्दिष्ट विनिर्देशों की पुष्टि नहीं करता है, तो अनुबंध–III में निर्धारित फारमेट पर अस्वीकृत रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी।

2.5 चिन्ह और पैकिंग

शहद को स्वास्थ्यकर दृष्टि से चौड़े मुँह वाले काँच के मर्तबानों में या अम्लीय रोधक लाक्षाटीन के डिब्बों में पैक किया जाएगा। काँच के मर्तबानों में लगाए गए चूड़ीदार ढक्कन, शहद के लिए जंग रोधी तथा प्रतिरोधी तत्व का बना होना चाहिए और शहद को छलकने से बचाने के लिए उनमें वॉशर की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक डिब्बे ठीक से पढ़े जा सकने वाले और न मिटने वाले ढंग से निम्नलिखित सूचनाओं के साथ चिन्हित किया जाना चाहिए।

- प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता का नाम और पता।
- निर्यातक का नाम और पता।
- तत्व का नाम और श्रेणी पदनाम।
- बैच और लॉट संख्या।
- प्रसंस्करण या विनिर्माण की तारीख और माह, वर्ष।
- कुल द्रव्यमान और शुद्ध द्रव्यमान।
- भारत में उत्पादित।
- पोत लदान चिन्ह।

2.6 निरीक्षण शुल्क

0.4 प्रतिशत की दर से पोत लदान शुल्क न्यूनतम रु 500/– प्रति परेषण, संबंधित निनिअ को निर्यातकर्ता द्वारा डिमांड ड्राफ्ट/चैक द्वारा संबंधित निनिअ को अग्रिम रूप में दी जाएगी।

3.0 शहद संसाधन संयंत्र के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया

3.1 उपाबंध–II/में दिए गए निर्धारित फॉर्मेट पर तृतीयक में खंड–3.1.2 के अनुसार संबंधित निनिअ को प्रसंस्करणकर्ता अनुमोदन के लिए देगा।

3.1.1. आवेदक के द्वारा अनुमोदन के लिए निधारित शुल्क रु. 5,000/– संबंधित निर्यात निरीक्षण अभिकरण के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/चैक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

3.1.2. आवेदन को निम्नलिखित दस्तावेजों सहित संलग्न किया जाएगा।

- फैक्टरी मैनुअल/एच.ए.सी.सी.पी मैनुअल, यदि संभव हो, तो स्वच्छता मानक संचालित प्रक्रिया और संगठन चार्ट।
- संसाधन के दौरान प्रयुक्त जांच प्रयुक्त जल की जांच रिपोर्ट प्रमाणित प्रति।
- अभिविन्यास योजना।
- प्रक्रिया फ्लो चार्ट।

- आवेदन संयंत्र और संचालित कार्यालय की विधिक पहचान प्रमाण दस्तावेजों की प्रभावित प्रतियां।
- परिसरों और भवन के लिए पट्टे के करारनामों की प्रभावित प्रति जहाँ आवश्यक हो।
- प्रौद्योगिकीविदों/पर्यवेक्षकों/रसायनविदों का जीवनवृत।
- संबंधित प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी सहमति पत्र की प्रमाणित प्रति।
- आयातक/निर्यातक कोड संख्या (आई.ई.सी) आबंटित आदेश की प्रमाणित प्रति।

3.2. अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र पर कार्यवाही

3.2.1. निर्यात निरीक्षण अभिकरणों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटनी की जाएगी और पाई गई विसंगतियां/कमियां ठीक करने के लिए आवेदकों को सूचित किया जाएगा।

3.2.2. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र संयंत्र के मूल्यांकन की व्यवस्था करने के लिए आयोजक– अंतर्विभागीय पैनल को (आई.डी.पी) अग्रेषित किए जाएगें।

3.2.3 संसाधन संयंत्र में उपलब्ध सुविधाओं की पर्याप्तता जानने के लिए मूल्यांकन आईडीपी द्वारा किया जाएगा जिसमें एपीईडीए, कृषि मंत्रालय और खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय आदि जैसे विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

3.2.4. आईडीपी द्वारा यदि संयंत्र के अनुमोदन के लिए सिफारिश की जाती है और उसकी सिफारिश निनिअ प्रभारी द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, तो निनिअ द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी।

क) यूनिट को एक विशिष्ट अनुमोदन संख्या दी जाएगी और निम्नलिखित संख्यांकन प्रणाली के प्रयोग से की जाएगी।

अभिकरण का नाम	**आबंटित कोड**
निर्यात निरीक्षण अभिकरण – मुंबई	शहद –01–001/अनुमोदन वर्ष
निर्यात निरीक्षण अभिकरण – कोलकाता	शहद –02–001/अनुमोदन वर्ष
निर्यात निरीक्षण अभिकरण – कोचीन	शहद –03–001/अनुमोदन वर्ष
निर्यात निरीक्षण अभिकरण – दिल्ली	शहद –04–001/अनुमोदन वर्ष
निर्यात निरीक्षण अभिकरण – मद्रास	शहद –05–001/अनुमोदन वर्ष

ख) उपाबंध–।/के अनुसार अनुमोदन पत्र संयंत्र को जारी कर दिया जाएगा।

ग) उपाबंध–।/। के अनुसार निनिप अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करेगा।

3.2.5. यदि कोई आईडीपी कमी पाता है, तो उसका 3 माह की अवधि में सुधार किया जाना चाहिए। अवाश्यक संशोधनात्मक कार्यवाही हेतु आवेदक को सूचित किया जाएगा। सत्यापन जो संशोधनात्मक कार्यवाही के सत्यापन पर आधारित होगी, अनुमोदन की स्वीकृति दे दी जाएगी।

3.2.6. यदि आईडीपी अनुमोदन के लिए सिफारिश नहीं करता है, तो संबंधित निनिअ के प्रभारी आईडीपी रिपोर्ट के प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर आवेदक को सूचित करेगा और कारणों सहित, संयंत्र को आवेदन के लिए चयन न होने पर भी सूचित करेगा।

3.3 निर्यात पैकेजों पर चिन्ह

3.3.1. सभी निर्यात पैकेजों पर खंड–2.5 की अपेक्षाओं के अनुसार पैक्ड व चिन्हित किए जाएंगे।

3.3.2. सभी निर्यात शहद पैकेजों पर अनुमोदन संख्या स्पष्ट रूप से मुद्रित/स्टेंसिल होगा। (अधिसूचना के आधार पर संदर्भित)

3.3.3. सभी पैकेजों परसंयंत्रों/प्रसंस्करणकर्ता द्वारा निम्नलिखित पैटर्न लगाया जाएगा।

''क्यू चिन्ह''

3.3.4. अन्य कानूनी चिन्हित जो आयातित देश या क्रेता द्वारा अपेक्षित होंगे।

टिप्पण :— निर्यात पैकेज से अभिप्राय उस अंतिम पैकेज से है, जो भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और जो आयातक देश तक के सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा प्राप्त कर जांच किया जाए।

3.4 अनुमोदन की वैधता

अनुमोदन पत्र की जारी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन मान्य होगा।

3.5 निरीक्षण शुल्क

संसाधनकर्ता द्वारा पोत लदान शुल्क के 0.2 प्रतिशत की दर से संबंधित निनिअ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/चैक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

3.6 अनुमोदित संयंत्र के अनुमोदन का नवीकरण

3.6.1. अनुमोदन का नवीकरण चाहने वाले अनुमोदित संयंत्र अनुमोदन समाप्ति से कम से कम दो माह पूर्व में अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों तथा संबंधित निनिअ के पक्ष में बने रु. 5,000/— के आवेदन शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट/चैक सहित संलग्न — I/II में निर्दिष्ट प्रारूप से संबंधित निनिअ को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

3.6.2. आई.डी.पी. संयंत्र का मूल्यांकन करेगा, यदि कोई संयंत्र नवीकरण के लिए अनुमोदित हो, तो संसाधन यूनिट नवीकरण अनुमोदन की स्वीकृति दे दी जाएगी।

3.7. संस्थापन/प्रबंधन द्वारा निगरानी

3.7.1. अधिसूचना की आवश्यकताओं के अनुपालन और उत्पाद की सुरक्षा तथा संपूर्णता को सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संसाधनकर्ता का होगा।

37.2. अधिसूचना के अनुसार संसाधनकर्ता सभी नियंत्रणों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित बोर्ड क्षेत्रों में अभिलेख रखेगा।

- कच्चा उत्पाद नियंत्रण
- परिसरों से संबंधित स्वास्थ्य अपेक्षाएं
- संरचना और नक्शा
- कीटनाशक (बचाव) असंयमित, रसायन का प्रयोग
- रखरखाव
- सफाई और स्वच्छता
- कार्मिक स्वच्छता
- विश्राम कक्ष
- जल प्रबंधन
- रसायन
- प्रकाश और वातायन
- उद्दिष्ट निवर्तन मल निस्सारी सहित

- उत्तम विनिर्माण प्रक्रिया (जीएमपी)

3.7.3. उपरोक्त खंड–3.7.2 में दी गई अपेक्षाओं का अनुसरण प्रसंस्करण संयंत्र में सुरक्षित करना। संयंत्रों के सक्षम कार्मिकों द्वारा प्रक्रिया नियंत्रण और प्रक्रिया निरीक्षण का संचालन किया जाएगा।

3.7.4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी भी प्रयोगशाला में या प्रसंस्करण संयंत्र में प्रक्रिया नियंत्रण निरीक्षण नमूनो/तैयार/अंतिम उत्पाद नमूनों/स्वच्छता नियंत्रण नमूनों की जाँच की जाएगी।

3.7.5. संसाधनकर्ता के शहद की जाँच करेगा। किसी भी अनुमोदित प्रयोगशाला में जो सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो, निम्नलिखित क्षमता के पैरामीटर के अनुसार जाँच की जाएगी, जो निम्नलिखित है :–

- ऑर्गेनोक्लोरिन मिश्रण सहित–महीने में एक बार
- ऑर्गेन फॉस्फोरस मिश्रण–महीने में एक बार
- कार्बामेट्स और पैराथाइरॉइड–महीने में एक बार, भारी धातु जैसे रसायन
- तत्व और जीवरोधी, द्रव्य, सल्फोनामाइट्स सहित और क्यूनोलोनस–महीने में एक बार
- अधिसूचना में अन्य पैरामीटर्स दिए गए है–प्रत्येक बैच

3.7.6. उपरोक्त मापदंडों की जाँच, नवीन प्रणाली एओएसी/कोडेक्स/अंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त प्रणालियों के अनुसार की जाएगी।

3.7.7. यदि कोई अधिसूचना की अपेक्षाओं के विकल्प मापों द्वारा अपनाया जाएगा, तो वह आवश्यक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

3.8 निनिप द्वारा पर्यवेक्षण

अनुमोदित संयंत्र द्वारा उल्लिखित अनुसरण हेतु तिहरी पर्यवेक्षण प्रणाली अपनाई जाएगी।

3.8.1 निनिअ द्वारा निगरानी दौरा

क) निनिअ अधिकारी कम से कम तीन महीने में एक बार कार्य क्रिया पर करेंगे, जो गत वर्ष के दौरे पर आधारित होगी।

– पूर्व निगरानी दौरे से, नमूनों के विश्लेषण की जाँच रिपोर्ट।
– पूर्ववर्ती वर्ष के नमूनों की विशेषण जाँच रिपोर्ट। निगरानी दौरे से प्राप्त।
– आयातित देशों में क्वालिटी शिकायतें प्राप्त की गई।

ख) खंड 3.7.2 में दिए गए सभी बिन्दुओं को निगरानी बिन्दुओं से आवृत्त किया जाएगा।

– अभिलेखों का सत्यापन।
– प्रक्रियागत नियंत्रण का सत्यापन, स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यावहारिक।
– अधिसूचना में विनिर्देशित मापदंडों का सत्यापन सहिष्णुता सीमाओं के अंतर्गत है।
– तैयार उत्पादों के नमूने लेने के लिए सुरक्षा आश्वासन और उत्पादन संपूर्ण मानव के लिए है।
– निनिअ प्रयोगशाला में जाँच परिमापों और जो प्रसंस्करण यूनिट द्वारा देखी गई।

3.8.2. निनिअ द्वारा पर्यवेक्षण दौरा

निर्यात निरीक्षण अभिकरण छः महीने में एक बार आवृत्ति पर पर्यवेक्षण दौरा करेगा, जैसाकि पूर्व किया गया, पर पर्यवेक्षक अधिकारी अधिसूचना की अपेक्षाओं के अनुपालन के अनुसार उत्पादों और दस्तावेजों को सत्यापित करेगा, विनिर्देशन के अनुरूप दवाइयों के कीटनाशी और भारी खनिजों के अवशेषों पर ध्यान दिया जाएगा।

3.8.3 सामूहिक लेखा परीक्षा

सामूहिक लेखा परीक्षा निनिप द्वारा वर्ष में एक बार प्रणाली उद्देश्य की पर्याप्तता हेतु ही नहीं किए जाएंगे, बल्कि क्षेत्र में प्रणाली के संचालन हेतु भी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली में निनिअ लेखा परीक्षा, संचालन अनुमोदित यूनिटों के कम से कम 10 प्रतिशत मूल्य के लिए भी किया जाएगा।

3.9. निरीक्षण प्रमाणपत्र का प्रचालन

प्रत्येक निर्यात परेषण के लिए अनुमोदित प्रसंस्करण संयंत्रों का निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करेगा। खाली प्रमाणपत्र पुस्तकें संबंधित निनिअ से प्राप्त होंगी। प्रत्येक प्रमाणपत्र फार्म्स की रु. 20/– की कीमत पर प्राप्त होंगे। अनुमोदित शहद प्रसंस्करण संयंत्रों को (अनुबंध–V पर संलग्न प्रारूप) निनिअ द्वारा खाली प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। निरीक्षण की समाप्ति की तारीख से निरीक्षण प्रमाणपत्र को 45 दिनों के लिए वैध माना जाएगा।

3.10 व्यापारी निर्यातकर्ता

3.10.1 व्यापारी निर्यातकर्ता की स्थिति में, अनुमोदित संयंत्र प्रकोष्ठ 14 रिक्त (पूर्व पोत–लदान) छोड़ देता है, तो व्यापारी निर्यातकर्ता, प्रकोष्ठों को भरेगा, हस्ताक्षर करेगा, निर्यातक फर्म का नाम और पता सहित रबड़ की मोहर लगाएगा। यह आवश्यक होगा कि प्रकोष्ठ 14 में दिया गया नाम और पता प्रकोष्ठ– I में दी गई सूचना के अनुरूप है।

3.10.2 यदि अनुमोदित संयंत्र, व्यापारी निर्यातकर्ता को प्रकोष्ठ 14 के अंतर्गत उत्पादन देकर संभरण करता है, तो निर्यात निरीक्षण–पत्र द्वारा सुनिश्चित करने पर प्रसंस्करणकर्ता, निम्नलिखित मूल प्रति और निरीक्षण प्रमाणपत्र की प्रतियों पर मोहर लगाएगा, उसके उपरांत व्यापारी निर्यातक उसे सही करार देगा।

निनिअ की निगरानी फीस पूर्व पोत–लदान पर आधारित होगी।

''यदि पूर्व पोत–लदान में उच्चयन समीक्षा की जाती है,
तो कस्टम विभाग निर्यातकर्ता को सुझाव देता है, निर्यात
निरीक्षण अभिकरण के निकटतम कार्यालय से अतिरिक्त
निरीक्षण फीस देकर संशोधन करा लें।''

3.10.3 व्यापारी निर्यातक को भी पूर्व पोत–लदान के मूल्य के आधार पर 0.2 प्रतिशत की दर से निनिअ के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट/चैक से निरीक्षण फीस देगा।

3.11 निनिअ को अनुवीक्षण शुल्क का भुगतान

3.11.1 प्रत्येक अनुमोदित संयंत्र को प्राप्त बुक पद्धति होनी चाहिए जिसका संचालन निनिअ के निकटतम कार्यालय से होगा। अनुमोदित संयंत्र को कोरा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा, जब तक प्रसंस्करण इकाई के पास–बुक खाते में सकारात्मक शेष न हो।

3.11.2 जब कभी निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी किया जाए, तो अनुमोदित संयंत्र स्वयं पास–बुक में निरीक्षण फीस घटा सकता है और शेष जमा नज़दीकी निनिअ के कार्यालय को तीसरी प्रति प्रेषित करने से पूर्व शेष राशि की प्रविष्टि करेगा।

3.12. स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करना

स्वास्थ्य प्रमाणपत्र का प्रोफार्मा जो उपबंध – I/ III में दिया गया है या आयातित देश द्वारा कोई अन्य प्रोफार्मा जो स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो, प्रसंस्करणकर्ता की प्रार्थना पर निनिअ निम्नलिखित दस्तावेज़ों सहित जारी कर सकता है।

- प्रसंस्करणकर्ता द्वारा जारी संबंधित परेषण के लिए निरीक्षण प्रमाणपत्र की प्रति।

- परेषण के उत्पाद की अवधि के दौरान कीटनाशक औषधि भारी धातु में अवशेषों के जाँच आंकड़े।
- आयातित देशों की अपेक्षाओं के अनुसार परेषण के अनुसरण के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र में प्रयोगशाला जाँच के लिए अतिरिक्त पैरामीटर प्रमाणपत्र में मुख्य रूप से इंगित किए जाएंगे। प्रत्येक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के लिए रु. 100/– फीस ली जाएगी।

3.13 अपील

कोई भी निर्यातकर्ता निनिअ के निर्णय की सूचना प्राप्त होने पर 10 दिन के भीतर ऐसी शिकायत की अपील (निनिप) को कर सकेगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा गठित पैनल को संदर्भित कर दिया जाएगा और प्राप्ति के 15 दिन के भीतर निपटा दी जाएगी। ऐसी अपील पर पैनल का निर्णय अंतिम होगा।

उपाबंध–II

निरीक्षण का प्रमाण पत्र

निर्यातक का नाम व पता 1	चालान नं. व तारीख 6 खरीददार का आदेश नं. व तारीख 7
उत्पादक का नाम व पता 2	निर्यात निरीक्षण अभिकरण कलकत्ता / कोचीन / दिल्ली / मुम्बई / मद्रास
उत्पादक की सील का विवरण यदि कोई है 3	वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार संबंधित निनिअ का पता
निरीक्षण प्राधिकारी की सील का विवरण, यदि कोई हो 4	वैधता तक और सहित
विशेष वर्णित के संदर्भ में 5	प्रमाणपत्र नं. 9

चिन्ह नं. 10	पैकज का नं. व प्रकार 11	माल का विवरण 12	मात्रा 13	एफओबी मूल्य रु. 14

विचार है यदि	एफ.ओ.बी बढ़ाने के लिए स्तंभ 15
निरीक्षण पद्धति के अंतर्गत प्रमाणीकरण यह घोषित किया जाता है कि भेजने वाले माल के उपरोक्त विवरण का निरीक्षण हो चुका है, जैसाकि शहद के निर्यात के (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2002 के अंतर्गत आवश्यक है। यह इस लागू शर्तों की संतुष्टि करता है और निर्यात योग्यता के अनुरूप प्रमाणित करता है। निरीक्षण की तारीख –––––––	16 जारीकर्ता प्राधिकारी की सील
प्रसंस्करणकर्ता क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत प्रमाणीकरण नियंत्रण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि यहां उपरोक्त वस्तुओं के विवरण शहद के निर्यात के क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अंर्तगत नियम, 2002 में दिए गए वर्णन के अनुसार दिया गया।	हस्ताक्षर –––––––– नाम –––––––– पदनाम स्तर अनुसार –––––––– तारीख ––––––––

परिशिष्ट – IV

शहद के प्रसंस्करण संयंत्र के अनुमोदन के लिए आवेदन हेतु प्रोफार्मा

सेवा में,
संयुक्त निदेशक प्रभारी,
निर्यात निरीक्षण अभिकरण –
महोदय,

कृपया, निर्यात के लिए शहद के संसाधन के लिए शहद के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण और निगरानी) नियम, 2002 के अंतर्गत अपेक्षित, हमारे संयंत्र का मूल्यांकन करे। हम उत्तरदायित्व लेते हैं कि शहद के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण और निगरानी) नियम 2002 के अपेक्षित अनुबंध के अनुरूप है।

कृपया, रु. 5,000/– की निरीक्षण फीस का मांग ड्राफ्ट/चैक सं. ––––––––– तारीख ––––––––––– आवेदन के साथ संलग्न है। इसके अतिरिक्त हमारे संयंत्र में वर्तमान सुविधाओं से संबंधित सूचना निम्नलिखित हैं :

1.0	**सामान्य सूचनाएँ**		
1.1	अनुमोदन के लिए संयंत्र का नाम और पता		
1.2	निनिअ द्वारा दिए गए प्रसंस्करणकर्ता का कोड नं. यदि कोई है		
1.3	मूल्य कार्यकारी का नाम, प्रबंधन/निदेशक/ भागादार स्वत्वाधिकारी		
1.4	क्या प्रसंस्करण संयंत्र अपना है या आवेदक पट्टे पर लिया है।	अपना/पट्टे पर	
1.5	यदि पट्टे का है/संयंत्र स्वामी का नाम, और पता		
1.6	निर्माण की तारीख		
1.7	शिकायतें		
1.8	निर्यात के लिए अनुमोदन प्रार्थना देशो में		
1.9	निर्यात के लिए अनुमोदन प्रार्थना उत्पाद की		
1.10	गत वर्ष में कुल निर्यात (क) देशों के नाम जहां निर्यात हुआ		
1.11	गत वर्ष के दौरान वार्षिक उत्पादन		
1.12	पूर्ण वर्ष उत्पादन या मौसमी उत्पादन		
1.13	प्रति दिन कार्य करने के घंटे का समय		
1.14	प्रत्येक सप्ताह कार्य करने के घंटों का समय		
2.0	**संस्थान का ढांचा**		
2.1	क) संस्थान के पास परिवहन के लिए वाहनों की सं. कच्चे माल के यातायात के लिए, अंतिम उत्पाद, क्षमता और पंजीकृत संख्या	नं. क्षमता	पंजीकृत सं.
2.2	क्या संस्थान ने वाहन से बाहर से किराए पर लिया है ?		
3.0	**कार्मिकों के विषय में सूचना**		
3.1	परिस्थापन में उपलब्ध तकनीकियों की सं.		
3.2	तकनीकियों के नाम और शैक्षिक योग्यता जो प्रसंस्करण की निगरानी और उससे संबंधित संचालन कर रहे हैं (संलग्न		

	पृथक लगाएं)	
4.0	**कच्ची सामग्री**	
4.1	कच्ची सामग्री प्राप्त करने के साधन	
4.2	प्रसंस्करण संयंत्र तक की कच्ची सामग्री के अभिगमन के साधन	
4.3	क्या प्राप्ति से पहले कच्चे माल की जाँच की जाती है ? (उनकी जांच की गई सीमा के पैरामीटर की सूची संलग्न करें)	
4.4	क्या कच्चे सामग्री के अनुमार्ग का प्रबंध है, यदि है तो उसका विवरण दें	
4.5	क्या उपरोक्त अभिलेखों का रखरखाव उचित प्रकार से किया गया है	
4.6	क्या स्वच्छ शहद के उत्पादन के लिए किसानों को शिक्षित करने के लिए बुनियादी ढांचा है	
4.7	क्या स्वच्छ शहद उद्धरण के लिए किसानों को कोई प्रोत्साहन दिया जाता है	
4.8	क्या सामग्री के लिए डिब्बे/टोकरियों का निरीक्षण किया जाता है	
5.0	**परिवेश**	
5.1	क्या अहाते में सुचारु बाग है	
5.2	क्या पत्तन के समीप किसी कृदंतक के चिंह है? या कचरा, कूड़ा, करकट या मिलता–जुलता बेकार का समूह संयंत्र के अंदर या बाहर है	
5.3	क्या परिवेश आपत्तिजनक दुर्गंध, धुंआ, धूल और अन्दर या बाहर है	
6.0	**निर्माण और निर्गम स्थान (निर्गम स्थान मानाचित्र संलग्न)**	
6.1	क्या भवन निर्माण स्थिर प्रकृति का है	
6.2	क्या निकासी के कार्य की सुविधाएं सुचारु है और रुकावट को दूर करती है	
6.3	क्या भवन, कृदंतक, कीट, पक्षियों, मक्खियों इत्यादि की प्रविष्टि पर रोक की पर्याप्त सुरक्षा है	
6.4	क्या प्रसंस्करण क्षेत्र और निवास की उचित दूरी है	
7.0	**संयंत्र सुविधाएं**	
7.1	क्या वहाँ अखाद्य सामग्री विसंक्रमण और कीटनाशक के लिए पृथक भंडार गृह है	
7.2	क्या वहाँ शुष्क और गीली वस्तुओं के भंडारण की पृथक व्यवस्था है	
	• भंडारण पैकिंग पदार्थ • कार्मिकों के लिए आरामगृह • कर्मचारियों के लिए कपड़े बदलने के कमरे	
7.3	प्रसंस्करण संयंत्र को धोने की सुविधा (कृपया स्पष्ट करें यदि नहीं है) (सीआईपी)	

7.4	पानी अभिक्रिया संयंत्र	
7.5	जेनरेटर	
7.6	सुविधाएँ प्राप्ति विभाग (संख्या सहित)	
8.0	**कच्ची सामग्री प्राप्ति का विभाग**	
8.1	क्या प्रसंस्करण क्षेत्र को संदूषण से सुरक्षा हेतु कच्ची सामग्री प्राप्ति विभाग पर्याप्त दूरी पर है	
8.2	जब द्वार खुला हो, तो क्या वायुवादित पर्दे/मक्खीनाशक/मक्खियों की प्रविष्टि को रोकना है	
9.0	**धोने और स्वच्छता संबंधी सुविधाएँ**	
9.1	क्या प्रवेश बिन्दुओं पर पैर और हाथ धोने की उचित सुविधा है	
10.0	**दरवाज़े**	
10.1	प्रसंस्करण क्षेत्र में दरवाज़ों की संख्या	
10.2	क्या दरवाज़े स्वचालित है	
10.3	क्या दरवाज़े मक्खियों और संक्रामक जीवों को रोकने के लिए बंद रहते हैं	
11.0	**खिड़कियाँ**	
11.1	प्रसंस्करण क्षेत्र में खिड़कियों की संख्या	
11.2	क्या खिड़कियाँ पर्याप्त परिमाप की है, लकड़ी की न होकर अशोषणीय तत्व की बनी होंगी	
11.3	क्या खिड़कियों में यदि कोई अग्रभाग में ढलान है।	
12.0	**फर्श**	
12.1	क्या फर्श कठोर सतह की बनी है अभाव, चिकनी, गड्ढों से रहित और दरारों से मुक्त है	
12.2	क्या फर्श को धोने के लिए पर्याप्त ढलान है	
12.3	क्या फर्श पर अशोषणीय तत्व के पटरों का प्रावधान है जिस पर कच्ची सामग्री के डिब्बों को रखा जा सके	
13.0	**जलनिकास**	
13.1	क्या अपवाहिका के खुले अंतिम भाग कृदंतक के प्रवेश का प्रतिरोधक	
13.2	क्या वहाँ फर्श की नियमित धुलाई की सुविधा है और फर्श को सुखाने की व्यवस्था है	
13.3	क्या अपवाहिका के पर्याप्त आकार, ढलान के है, और जो आसानी से साफ हो सके।	
14.0	**दीवारें**	
14.1	क्या फर्श की दीवार से दीवार तक का जुड़ाव समुचित घुमावदार है।	
14.2	क्या दीवारें, चिकनी, हल्के रंग और बिना दरारे वाली है	
14.3	क्या दीवारें धुलने योग्य है	
14.4	क्या दीवार पर लगे स्विच और अन्य प्रतिस्थान जलरोधक है और सफाई योग्य हैं	
15.0	**धुलाई और सफाई**	

15.1	क्या प्रसंस्करण हाल में हाथ धोने और स्वास्थ्यप्रदता सुविधाओं का प्रावधन है ?	
15.2	क्या वाश–बेसिन में अहस्त चालित नल उपलब्ध कराए गए हैं	
16.0	**छत**	
16.1	क्या छत साफ होने योग्य है	
16.2	छतों के ऊपर छिपकली, कॉक्रोच इत्यादि घूमते है या चलते है	
16.3	क्या वहां खंभे, बंधन पाइप, या अन्य ढांचा है तत्वों और फिटिंग को छतों पर रोका गया है	
16.4	यदि ऐसा है, तो क्या मलबा, धूल के रिसाव, गिरने से रोकने का प्रबंध है	
16.5	क्या कृतंक और मक्खियों से बचाव का प्रबंधक संतोषजनक है	
17.0	**प्रकाश**	
17.1	क्या प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था है, उदाहरणतः तभी 540 लक्स निरीक्षण क्षेत्र में और 220 लक्स कार्य कक्ष और दीवारों पर	
17.2	क्या लाइटें पर्याप्त रूप से सुरक्षित है	
18.0	**वातायन**	
18.1	प्रसंस्करण क्षेत्र वायु निर्वातन परतों की सं.	
18.2	क्या रोशनदानों वायु निर्वातन पंखों में, के द्वार पर मक्खियों रोधन का प्रावधान है।	
18.3	क्या ऐसे मक्खी रोधक की नियमित स्वच्छ किए जाते हैं।	
19.0	**मेज़ें/बर्तन और उपस्करण**	
19.1	क्या लकड़ी के अतिरिक्त सभी ट्रे/टंकियां और बर्तन जंग रहित सामग्री के बने हैं और उनकी सतह समतल चिकनी और दरार रहित है	
19.2	क्या उत्पाद के रखरखाव के लिए जंग लगी, चमकदार लोहे, बर्तन, बांस की टोकरी, जालीदार डिब्बे या रंगीन धातु चढ़ा बर्तन प्रयोग किया जाता है	
19.3	क्या तराजू और बाँट अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है	
19.4	क्या मेज़ की सतह चिकनी, जंग रहित, गड्ढ़ों और दरारों रहित है जोकि संतोषजनक स्वच्छता को सुरक्षित रखे	
19.5	क्या कार्य मेज़ों के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है	
19.6	क्या गर्म करने वाले बर्तन आवरित है	
20.0	**प्रसंस्करण विभाग**	
20.1	क्या कर्मचारियों के लिए प्रसंस्करण हॉल में जाने से पूर्व और प्रत्येक अनुपस्थिति के पश्चात चिन्ह बोर्ड लगे है	
20.2	क्या दरवाजा खुलने पर मक्खियों का प्रवेश रोकने के लिए वायुमय पर्दे/मक्खी नाशकों का प्रावधान है	
20.3	क्या कच्चा शहद को किसी तापमान पर रखा गया है और कितनी अवधि तक रखा गया है	
20.4	यद्यपि छानन के लिए फिल्टर प्रयोग किया गया है	
20.5	यद्यपि फिलिंग स्वचालित है	

21.0	**जल**	
21.1	क्या प्रलेखित जन प्रबंधन प्रणाली है	
21.2	यदि पानी के संभरण के लिए अन्य जलस्रोत सुरक्षित है, विनिर्देशन करे	
21.3	क्या पेय जल प्रमाणपत्र प्रत्येक जल स्रोत के लिए दिया गया है	
21.4	यद्यपि उपकरण और फर्श की स्वच्छता के लिए प्रयुक्त होने वाले पेय जल योग्य क्वालिटी है	
21.5	क्या जल शोधन संयंत्र है	
21.6	यदि ऐसा है, तो प्रसंस्करण हेतु पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराया गया है	
21.7	जल निकासी के लिए हौज का प्रयोग होने पर क्या ऐसे उपाय किए गए है, जिससे वापसी चूषण द्वारा जल संदूषित न हो	
21.8	क्या स्वच्छता के लिए टंकियों तक पहुंचना आसान है	
21.10	क्या पानी जमा करने के लिए टैंक की क्षमता कितनी है	
21.11	यद्यपि वहाँ पर जल टंकी/टंकियों की स्वच्छता के लिए प्रलेखित प्रक्रिया है	
22.0	**रसायन/योज्य**	
22.1	क्या शहद में भारी धातु, प्रतिजैविकी, कीटनाशकों के अवशेषों और अन्य संदूषण का या आपत्तियों के लिए जाँच की जाती है	
22.2	क्या एचएसीसीपी उचित अपेक्षाओं के अनुरूप है	
23.0	**भरण**	
23.1	क्या भराई हेतु अलग क्षेत्र उपलब्ध है	
23.2	क्या भराई स्वचालित/हस्तचालित की जाती है	
23.3	क्या भराई से पूर्व स्वच्छता और सुखाने की प्रक्रिया क्या है	
23.4	क्या भराई निगरानी रिकॉर्ड की व्यवस्था है (कृपया प्रारूप संलग्न करें)	
24.0	**शौचालय सुविधाएं**	
24.1	क्या कार्मिकों की संख्या को देखते हुए शौचालयों की संख्या पर्याप्त है	
24.2	क्या शौचालय प्रसंस्करण क्षेत्र से दूर रहे ताकि संदूषण न हो	
24.3	क्या शौचालय के समीप हाथ धोने और स्वच्छता के लिए सुविधाओं सहित प्रक्षालन पात्र साबुन, एकल प्रयोग तालिए नाखुन और जलापूर्ति की व्यवस्था है	
25.0	**व्यक्तिगत स्वच्छता**	
25.1	कार्मिकों की व्यक्तिगत स्वच्छता के रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी है	
25.2	क्या कार्मिक स्वच्छ रूप से किसी छूत की बीमारी खुले घाव और किसी दूषक स्रोत के संदूषण से मुक्त है	

25.3	क्या कार्मिकों की चिकित्सा जाँच आवधिक रूप से की जाती है और व्यक्तिगत का स्वास्थ्य कार्ड यह दर्शाता है कि व्यक्ति शहद प्रसंस्करण संयंत्र में काम करने योग्य है	
25.4	क्या संयंत्र कार्मिकों को प्रोफिलेक्टिक इंजेक्शन लगाए जाते है और उसका रिकार्ड व्यक्तिगत कार्ड में रखा जाता है	
25.5	क्या सभी कार्मिकों को अपने घर में हुए टाइफाइड अतिसार, वमन और अन्य छूत के रोगों की सूचना देना अनिवार्य है	
25.6	क्या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त होने के उपरांत अनुस्थित कार्मिकों ने अपनी चिकित्सा जाँच करवा ली है	
26.0	**संयंत्र उपकरण और पात्रों को स्वच्छ और रोगाणु मुक्त किया जाना**	
26.1	क्या उपकरण पात्रों में जहां संयंत्र की रोगाणुनाशन और स्वच्छता के लिए दस्तावेज़ प्रक्रिया है	
26.2	क्या स्वच्छता अनुसूची सुस्पष्ट प्रदर्शित की गई है	
26.3	क्या जहाँ रोगाणुनाशन स्वच्छता के लिए पात्रों और उपस्करों के लिए क्षेत्र को चिन्हित किया गया है	
26.4	क्या वहाँ पर शीत और उष्ण जल के भाप के ढलाव स्वच्छता और रोगाणुनाशन के उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है	
26.5	अवशेषों की अनुपस्थिति में रसायन स्वच्छता कैसे सुरक्षित आश्वस्त की गई है	
26.6	क्या स्वच्छता का प्रभावी होना आवधिक प्रयोगशाला जाँच पर सत्यापित है	
27.0	**वाष्प और वायु संभरण**	
27.1	क्या वाष्प का प्रयोग खाद्य के सीधे संपर्क में है, या खाद्य संपर्क सतह रहित पदार्थों से, जो इस प्रकार हो सकता है क) स्वास्थ्य के लिए संकटपन्न है या ख) खाद्य संदूषण करते हैं क्या दाब वायु/वायु का संचरण/संचरण सीधे खाद्य के संपर्क में आती है। क) क्या छनी हुई वायु को स्वच्छ स्थान पर है ख) तेल समाविष्ट नहीं/अन्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए संकटापन्न होंगे ग) भोजन को संदूषित नहीं करेंगे क्या वायु छलनी प्रतिदिन स्वच्छ की जाती है, या बदली जाती है	
28.0	**बदलने का कक्ष**	
28.1	क्या पुरुष/स्त्री कार्मिकों के लिए पृथक बदलने का कक्ष उपलब्ध कराया गया है, कितने हैं	
28.2	क्या बदलने वाला कक्ष संयंत्र को उपयुक्त नक्शे से संपूर्ण किया गया है	
28.3	वहां क्या व्यवस्था है	

	क) जूतों को बदलने के लिए ख) पहने हुए कपड़े पृथक करने के लिए ग) ताला बंद अलमारी घ) कार्य करने के लिए ठोस कपड़ों का संग्रह ड़) गम बूट्स च) शीर्ष टोपी और दस्ताने जहां आवश्यक है, मुँह ढकना	
28.4	क्या वहाँ कार्मिकों के कार्य कपड़ों को धोने के लिए घरेलू धोबी की उचित व्यवस्था है	
28.5	क्या बदलने वाले कक्ष में बैग से प्रवाह व्यवस्था है क्या यह स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद है	
28.6	क्या शौचालय का दरवाज़ा सीधे प्रसंस्करण क्षेत्र में खुलता है	
29.0	**बहिष्प्रवाही उपचार**	
29.1	क्या इकाई में एक पर्याप्त बहिष्प्रवाही शोधक प्रणाली है	
29.2	क्या वहां सांवधिक (कानूनी) अपेक्षाओं सहित अनुपालन हो रहा है	
29.3	पड़ोसी से बहिष्प्रवाही कारण से कोई समस्या हो रही है	
30.0	**व्यवस्था अनुसूची**	
30.1	वहां दस्तावेज व्यवस्था प्रक्रिया के लिए विभिन्न अनुभाग/उपकरण/मशीनरी/प्रयोगशाला इत्यादि है, दस्तावेज की संख्या दी जाए	
30.2	क्या अभिलेखों का रखरखाव किया जाता है	
30.3	क्या सभी उपकरण चिंह, पहचान संख्या सहित है	
31.0	**एचएसीसीपी**	
31.1	क्या स्वयं जाँच प्रणाली एचएसीसीपी पर आधारित कार्यान्वित की जा रही है	
31.2	क्या एचएसीसीपी प्रभावित है, यदि ऐसा है तो किसके द्वारा, कृपया प्रभाव प्रस्तुत करे	
31.3	यदि ऐसा है, तो एचएसीसीपी मैनुअल अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है	
31.4	जबकि लेखा इस उद्देश्य हेतु व्यवस्थित किए जा रहे है	
31.5	जबकि निगरानी की आवृत्ति बारंबारता की दोषदर्शी है, सीमाएं सीसीपी पर पर्याप्त है	
31.6	क्या वहां एचएसीसीपी के अंतर्गत लेखा परीक्षा की पद्धति है	
31.7	जबकि ब्रेक डाउन और कुसंचालन अभिलेखित है	
31.8	यद्यपि वहां पुनर्प्रक्रिया और आवृत्ति और समीक्षा प्रावधान है।	
32.0	**कृदंतक/जीवाणु नियंत्रण**	
32.1	क्या वहां जीवाणु नियंत्रण के लिए कोई प्रलेख प्रक्रिया है	
32.2	यद्यपि प्रक्रिया के अनुसार लेखों की व्यवस्था की गई है	
32.3	यद्यपि जीवाणु कृदंतक नियंत्रण के लिए स्वयं व्यवस्था की गई है, या बाह्य अभिकरण द्वारा	
32.4	जबकि वेट नक्शा क्रमानुसार संख्या में दर्शाया गया है और वेट स्टेशन उपलब्ध किया गया है	

32.5	यद्यपि रसायन/कृदंतकनाशी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है	
33.0	**परिवहन**	
33.1	क्या तैयार उत्पादों और कच्ची सामग्री के परिवहन के लिए इकाई में पर्याप्त सुविधाएं है।	
33.2	क्या मध्यस्थ परिवहन वाहन उचित प्रकार से साफ की जाती है	
33.3	क्या इनकी संरचना इस प्रकार से की गई है, कि जिसे आसानी से साफ और स्वच्छता पूर्ण सुविधाएं है	
33.4	क्या वाहनों को स्वच्छ करने की अवधि कीटाणु रहित साफ किया जाता है।	
33.5	क्या वहां वाहनों को साफ करने के लिए प्रलेख प्रक्रिया है	
34.0	**निरीक्षण और जांच**	
34.1	क्या इकाई ने अपने परिसर में ही निरीक्षण तथा परीक्षण की सुविधाएं दी है	
34.2	क्या इकाई भौतिक रासायनिक तथा सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए पृथक परीक्षित तथा सक्षम कर्मचारी है, विस्तृत विवरण दिया जाए	
34.3	क्या यह अलग से रखे हुए प्रौद्योगिकीविद संसाधन के पर्यवेक्षण के लिए पृथक तकनीकी है तथा प्रयोगशाला परीक्षण करने के लिए	
34.4	क्या कोई अन्य संबंधित सूचना।	
35.0	**शिकायतें**	
35.1	क्या शिकायत को देखने के लिए परिलेखीय प्रक्रिया है	
35.2	क्या उत्पादकर्ता के विरुद्ध किसी पिछली शिकायत का सत्यापित अभिलेख है	

भवदीय

हस्ताक्षर ——————————
नाम ——————————
पदनाम ——————————
कंपनी की मोहर ——————————

दिनांक :
स्थान :

परिशिष्ट – V

संयंत्र अनुमोदन के लिए प्रारूप पत्र

पत्र संख्या
सेवा में,
मैसर्स ———————————

विषय :–
संदर्भ :–
महोदय,

आपके आवेदन पत्र के संदर्भ सं. —————— दिनांक ————— शहद के निर्यात के अंतर्गत यथावाधित (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण और निगरानी) नियम, 2002 तथा आपके प्रतिष्ठान में पैकिंग तथा संसाधन के अनुमोदन के लिए तथा अंतः विभागीय पैनल द्वारा दि. ——————— को आपके प्रतिष्ठान के मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर।

आपके प्रतिष्ठान को एक वर्ष की अवधि तक तथा समाहित —————— निम्न विवरण के साथ अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

1. प्रतिष्ठान का नाम और पता
   क) प्रतिष्ठान का पता
   ख) पंजीकृत कार्यालय का पता
2. अनुमोदन संख्या
3. अनुमोदन का क्षेत्र (मदें समाहित)

आपके प्रतिष्ठान को शहद के अनुमोदन संख्या —————— दी गई है। अनुमोदन संख्या स्पष्ट रूप से अंकित स्टेंसिल से शहद के निर्यात पैकेज पर होगी जिसके लिए अनुमोदन दिया गया है तथा पैकिंग पर ''क्यू'' चिन्ह होना चाहिए।

प्रतिष्ठान शहद के निर्यात के नियम 30 (ए) क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण और निगरानी नियम, 2002 के अनुसार निनिअ अनुवीक्षण के कार्य क्षेत्र में आयेगा। आपको अधिसूचना की अपेक्षानुसार स्वयं जाँच करने का परामर्श दिया जाता है।

आपको सदैव अनुवीक्षण शुल्क के भुगतान के लिए अपने जमा खाते में पर्याप्त शेष सुनिश्चित करना चाहिए तथा ''निर्यात के प्रमाणपत्र'' की दो प्रतियाँ वांछित अनुवीक्षण शुल्क को कम करने के लिए प्रतिमाह के नियमित आधार पर जमा करनी है।

जारी करने के दिनांक से निरीक्षण प्रमाणपत्र की वैधता प्रतिष्ठान को 45 दिन की होगी।

आपके अनुमोदन की समाप्ति दिनांक से 60 दिन पूर्व अग्रिम रूप से नए अनुमोदन के लिए आवेदन देना चाहिए।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय
निनिअ प्रभारी

प्रतिलिपि :–
1. निदेशक (निरी. एवं क्वा. नियं.) निनिप, नई दिल्ली।
2. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), निनिअ–मुम्बई , कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली, मद्रास, कोचीन।

परिशिष्ट – VI

भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार
अनुमोदन का प्रमाणपत्र

भारत की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहद का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2002 अधिसूचना सं. का.आ. 1097 दिनांक 11 मई, 2001, भारत के राजपत्र में, भाग–II, खंड–3, उपखंड–(II) तारीख 4 मार्च, 2002 में प्रकाशन पर होगा।

(संयंत्र का नाम)

उनके पंजीकृत कार्यालय पर ——————————————————————————

(पंजीकृत कार्यालय का पता)

एतद् द्वारा एक वर्ष की अवधि के अनुमोदित/नवीकरण की स्वीकृति की जाती है। वैध तक तथा सहित —————————— अनुमोदन संख्या के अंतर्गत ——————————————— प्रसंस्करण के लिए ————————————————————————————— निर्यात के लिए

(अनुमोदन का क्षेत्र)

इसका संयंत्र स्थित है पर —————————————————————————————
(संयंत्र की अवस्थिति)

संयंत्र जी.ओ.आई. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1097, दिनांक 11 मई, 2001 भारत के राजपत्र में प्रकाशित भाग–II, खंड–2, उपखंड–(II) दिनांक 4 मार्च, 2002 से प्रभावी अपेक्षाओं की शर्तों के अनुरूप जारी होगा।

निनिअ की मोहर

हस्ताक्षर ——————
नाम : सुश्री शशि सरीन
पदनाम : निदेशक (नि.एव.क्वा. नियं.)

स्थान – नई दिल्ली
दिनांक –

नई दिल्ली, वाई.एम.सी.ए. बिल्डिंग,
तृतीय तल, 1, जयसिंह रोड, नई दिल्ली – 110001
टेलीफोन – 0091–11–3748188, 3748189, फैक्स 0091–11–3748024
ई–मेल – eic @ eicindia. org

प्रतिस्थापन के अनुमोदन के नवीकरण हेतु आवेदन प्रारूप

सेवा में,
संयुक्त निदेशक प्रभारी,
निनिअ – मुम्बई , कलकत्ता, कोचीन,
दिल्ली और मद्रास,

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि हमारा प्रतिस्थान शहद निर्यात के अंतर्गत (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण और निगरानी), नियम, 2002 के द्वारा आपके पत्र सं. ———————— दि. ————————— के अंतर्गत अनुमोदित है —————————— क्योंकि प्रदत्त अनुमोदन को समाप्त हो रहा है, हम डिमांड ड्राफ्ट/चैक सं. —————————दि.—————————— के द्वारा 5,000/– आवेदन शुल्क के साथ अनुमोदन के नवीकरण के लिए निम्नलिखित विवरण दे रहे हैं, और आपसे अनुमोदन के नवीकरण को शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करते हैं।

1. अनुमोदन सं.
2. गत एक वर्ष के दौरान निर्यात की मात्रा
3. गत एक वर्ष के दौरान वार्षिक उत्पादन
4. गत एक वर्ष के दौरान निनिअ को दिया गया शुल्क
5. गत एक वर्ष के दौरान आयातित देशों द्वारा परिवादों की संख्या
   - यदि हाँ तो विवरण संलग्न करें
6. प्रत्येक सरकारी संस्थाओं से पूर्व एक वर्ष के दौरान अंतर्गत मान्यताप्राप्त
   - डी.जी.एफ.टी. कोड संख्या
   - एपिडा पंजीकरण संख्या
7. प्रबंधन में परिवर्तन का ब्यौरा, यदि कोई हो
8. पेय जल की प्रमाणपत्र संख्या (प्रति संलग्न करे)
9. संगठन के अध्यक्ष का नाम
10. एच.ए.सी.सी.पी. नियमावली के प्रति, यदि परिवर्तित हों
11. पिछले एक वर्ष में नक्शे में परिवर्तन
12. अनुभागीय सुविधाएं/उपकरण पिछले एक वर्ष के अंतर्गत
    - कच्चे माल के कूटने की सुविधाएं
    - प्रक्रम
    - पैकिंग
    - भंडारण
    - मार्गस्थ
    - भूमि पर तथा प्रयोगशाला सुविधाएँ

13. अन्य कोई संबंधित सूचना

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है।

धन्यवाद

स्थान :
दिनाक :

भवदीय
कर्मचारी की सील के साथ संगठन साथ संगठन
के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

क्रमांक :

स्वास्थ्य प्रमाणपत्र
निर्यात आशय के लिए शहद

प्रेषण देश : भारत
सक्षम प्राधिकारी : निनिअ मुम्बई , कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली व मद्रास

1. शहद पहचान ब्यौरा :
   वर्णन :
   मात्रा :
   पैकिंग की संख्या
   मार्गस्थ तथा भंडारण के दौरान अपेक्षित तापमान
   विनिर्माण दिनांक
   समाप्ति दिनांक

2. शहद का उत्पत्ति स्थान
   सक्षम अधिकारी द्वारा निर्यात के लिए प्राधिकृत प्रक्रम संयंत्र या उपक्रम के पते तथा संख्या।

3. शहद का गंतव्य स्थान
   शहद को प्रेषित किया जाना है
   से ——————— (प्रेषण का स्थान)
   तक ————————— (गंतव्य स्थान और देश)
   निम्नलिखित परिवहन के साधनों द्वारा ————————————————

   प्रेषणकर्ता का नाम और पता।
   प्रेषणकर्ता का नाम तथा पता गंतव्य के स्थान पर एल.सी. ब्यौरा।

4. स्वास्थ्य प्रमाणन।
   एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शहद है निर्यात की स्वास्थ्य शर्तों के अंतर्गत (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण और निगरानी) नियम, 2002 के अनुसार रखरखाव, प्रकृति, भंडारण तथा परिवहन किया गया है और उल्लिखित मानकों की पुष्टि करता है और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त पाए गए। जहां दुग्ध उत्पाद प्रक्रमित किया गया है, वह निनिअ (सक्षम प्राधिकारी) द्वारा नियमित अनुवीक्षण तथा अनुमोदित है।

जारी का स्थान :
जारी की तिथि :
मोहर :

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम :
पदनाम :